

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत आलीसर)

मु.न. 28 / 2017

- 1 रामस्वरूप यादव पुत्र श्री सुवालाल
- 2 बजरंगलाल यादव पुत्र श्री सुवालाल
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम दम्बा का बास, आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र दल्ला, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बास, आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. उपपंजीयक, चौमूं, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण


दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 04.06.2018

पत्रावली आज कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत आलीसर में पेश हुई। व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 01.06.2017 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुरेजात प्राप्त हो चुके हैं। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 05.03.2018 के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की अपील खारिज की जा चुकी हैं। उभयपक्षकारान की ओर से प्रश्नगत प्रकरण में तकासमा करने हेतु 100 रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर तहरीर कर सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। पक्षकारान ने वाद में तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील उभयपक्षों को कोई एतराज नहीं है तथा कुरेजात अनुसार दावें को अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया हैं।

अतः तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार की जाती है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:- यह की विवादित भूमि खाता संख्या 136 के आराजी खसरा नम्बर 772 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 772/1342 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 817/1457 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 818 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 818/1343 रकबा 0.48 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम आलीसर, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमूं द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


1. रामस्वरूप पुत्र सुवालाल जाति अहीर सा0 दम्बा का बास को ख.न. 772 रकबा 0.29 हैक्ट., ख.न. 772/1342 रकबा 0.21 हैक्ट., ख.न. 818 रकबा 0.0458 हैक्ट., ख.न. 818/1343 रकबा 0.0429 हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 0.5887 हैक्ट., जिसका कुल लगान 1.77 रूपये, दी जाती हैं।


उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला-जयपुर

2. बजरंगलाल पुत्र सुवालाल जाति अहीर सा. दम्बा का बास को ख.न. 818/1 रकबा 0.1015 हैक्ट., ख.न. 818/1343/1 रकबा 0.0948 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1963 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.59 रुपये, दी जाती हैं।
3. बनवारीलाल पुत्र दल्ला जाति अहीर सा. कुम्बा का बास को ख.न. 813/1457 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 818/2 रकबा 0.3427 हैक्ट., ख.न. 818/1343/2 रकबा 0.3423 हैक्ट. कुल किता 3 का कुल रकबा 0.7850 हैक्ट., जिसका कुल लगान 2.35 रुपये, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत आलीसर पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


उप सचिव सिद्धिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमूं जयपुर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंयायत आलीसर)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमूं व
अजलास प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस

- 1 रामस्वरूप यादव पुत्र श्री सुवालाल
- 2 बजरंगलाल यादव पुत्र श्री सुवालाल

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम दम्बा का बास, आलीसर, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र दल्ला, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बास, आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. उपपंजीयक, चौमूं, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 28/2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रुबरु प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. रामस्वरूप पुत्र सुवालाल जाति अहीर सा० दम्बा का बास को ख.न. 772 रकबा 0.29 हैक्ट., ख.न. 772/1342 रकबा 0.21 हैक्ट., ख.न. 818 रकबा 0.0458 हैक्ट., ख.न. 818/1343 रकबा 0.0429 हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 0.5887 हैक्ट., जिसका कुल लगान 1.77 रुपये, दी जाती हैं।
2. बजरंगलाल पुत्र सुवालाल जाति अहीर सा. दम्बा का बास को ख.न. 818/1 रकबा 0.1015 हैक्ट., ख.न. 818/1343/1 रकबा 0.0948 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1963 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.59 रुपये, दी जाती हैं।
3. बनवारीलाल पुत्र दल्ला जाति अहीर सा. कुम्भा का बास को ख.न. 818/1457 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 818/2 रकबा 0.3427 हैक्ट., ख.न. 818/1343/2 रकबा 0.3423 हैक्ट. कुल किता 3 का कुल रकबा 0.7850 हैक्ट., जिसका कुल लगान 2.35 रुपये, दी जाती हैं।

बसरत में हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 04.06.2018 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी

मुदई	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह संबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला-जयपुर